

प्रेस नोट 02.05.19

- 1.दिनांक 01.05.19 को वादी श्री ओम नरायन पुत्र पाल यादव निवासी पारा ताजपुर थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० यूपी 42 क्यू 8277 चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 347/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 2.दिनांक 01.05.19 को वादी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी देवकाली थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुभम रावत पुत्र शिव कुमार रावत निवासी देवकाली थाना को०नगर अयोध्या व 01 अज्ञात व्यक्ति अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 350/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 3.दिनांक 01.05.19 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार निरीक्षक प्रवर्तन दल, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राना सिंह उर्फ विकास सिंह पुत्र विवेकानन्द सिंह निवासी अंकारीपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी कर उपभोग करना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 142/19 धारा 135(1) ई विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 4.दिनांक 01.05.19 को वादी व०उ०नि० श्री सर्वेन्द्र अस्थाना थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० लईक पुत्र अलाउद्दीन निवासी कस्बा सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ आदि 02 नफर व 03 अज्ञात व्यक्ति अभि०गण द्वारा वाहन संख्या यूपी 32 सीजेड 6531 कन्टेनर मे 6 राशि गाय व 12 राशि साड़ को कूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ले जाते समय पकड़े जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 194/19 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० व 11घ पशु कूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 5.दिनांक 01.05.19 का वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार निरीक्षक प्रवर्तन दल, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मधुसूदन सिंह उर्फ डन्डू सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी सुरवारा थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 02 नफर अभियुक्तगण द्वारा व्यवसायिक परिसर में अवैध रूप से विद्युत चोरी कर उपभोग करना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 208/19 व 209/19 धारा 135(1)ए विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।